

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता०

से

सक

जिला

4072

सं०



सन् २०

16/12

केस का प्रकार

सिद्धिदाता

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3								
12.9.16	आवेदन जीवन राम साव पिता दुर्गिका लाल ग्राम करमाकुला पोता दत्तात्रय जिला पल्लू इला आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बतल रहे हैं कि पंजी II में सुरजी साधुन का नाम जोड़ने का कहना किया गया है। <u>भूमि का विवरण</u> <table> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाना</th> <th>खाल</th> <th>रकबा</th> </tr> <tr> <td>करमाकुला</td> <td>01</td> <td>235</td> <td>1.75 (अंश)</td> </tr> </table> हमारा कर्मचारी का आदेश दिया जाता है कि इस आवेदन पत्र का जांचोपचार प्रणाली अपने निरीक्षक के माध्यम से संपूर्ण करें। अभिलेख नं. 88/11/16 करेंगे। 12.9.16 अधीक्षक दत्तात्रय अभिलेख उपस्थापित किया गया। हमारा कर्मचारी प्रणाली अपने निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिक्रिया संपूर्ण किया गया। हमारा कर्मचारी ने प्रतिक्रिया दिया है कि ग्राम - करमाकुला खाना नं. 01 खाल 235 रकबा 1.75 (अंश) भूमि का नाम पंजी II में पंज. नं. 128/1 पर चर्चा का, भूमि व अधिकार कायदा में माल माल पिता पुरुषाव	ग्राम	खाना	खाल	रकबा	करमाकुला	01	235	1.75 (अंश)	
ग्राम	खाना	खाल	रकबा							
करमाकुला	01	235	1.75 (अंश)							
8.11.16										

401-17

एक सुरजी साहुन पति पुर्निका साहू सं नाम
पुल वरा हुट गवा डेंजिलके सुरजी साहुन
का नाम इलाहा 01 दिसंबर 235 रकम 1.75 1/2 एर
अर्द्ध का खरीद किसे परनु मांग पत्नी के
राज्य करवायी काग पुल वरा सुरजी साहुन
का नाम होड दिष्ट हैं। एका करवायी न
सुरजी साहुन का मांग पत्नी के पुर्निका साहुन
की अनुशंस किसे हैं। अर्द्धकरवायी पत्नी का
गोटेरन निरुक्ति करें। अर्द्धकरवायी दिनांक 24.11.16
को रखें।

24.11.16
अर्द्धकरवायी
हालुड

24.11.16

अर्द्धकरवायी उपर माफि किम गवा।
गोटेरन का लक्ष्यमा प्राप्ति हुआ। प्रथम
पक्ष उपर माफि। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित
अर्द्धकरवायी दिनांक 22-12-16 को रखें।

24.11.16
अर्द्धकरवायी
हालुड

22-12-16

अर्द्धकरवायी उपर माफि किम गवा। प्रथम
पक्ष उपर माफि। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित
अर्द्धकरवायी दिनांक 4.01-17 को रखें।

22.12.16
अर्द्धकरवायी
हालुड

1

2

04-01-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया / प्रथम पक्ष उपस्थापित / द्वितीय पक्ष अनुपस्थापित / अभिलेख दिनांक 9.2.17 को रखा /

04.01.17
अपल अधिकारी
दालपुर

9-2-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया / प्रथम पक्ष अनुपस्थापित / अभिलेख दिनांक 12-4-17 को रखा /

09.02.17
अपल अधिकारी
दालपुर

12-4-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया / द्वितीय पक्ष अनुपस्थापित / अभिलेख दिनांक 07-6-17 को रखा /

12.04.17
अपल अधिकारी
दालपुर

7-6-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया / प्रथम पक्ष उपस्थापित / अभिलेख दिनांक 16.8.17 को रखा /

16.06.17
अपल अधिकारी
दालपुर

168-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया/
प्रति पक्ष अनुपस्थित/ अभिलेख -
दिनांक 11.10.17 को रखें।

✓
11.10.17
अध्यक्ष उच्च न्यायालय
दिल्ली

11-10-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया/
प्रति पक्ष उपस्थित/ अभिलेख -
दिनांक 23-11-17 को रखें।

✓
11.10.17
अध्यक्ष उच्च न्यायालय
दिल्ली

23-11-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया/
उपक्ष पक्ष अनुपस्थित/ नोटिस जारी
करें/ अभिलेख दिनांक 12-12-17 को रखें।

✓
23.11.17
अध्यक्ष उच्च न्यायालय
दिल्ली

2-

12-12-17

अभिलेख उपस्थापित किया गया/ नोटिस
का तारिख प्राप्त है/ प्रति पक्ष
उपस्थित है/ प्रति पक्ष अनुपस्थित -
अभिलेख दिनांक 23.2.18 को रखें।

✓
12.12.17
अध्यक्ष उच्च न्यायालय
दिल्ली

1

2

13-2-18

अभिलेख उपस्थापित किया गया /
प्रथम पक्ष उपस्थित / द्वितीय पक्ष
अनुपस्थित / अभिलेख दिनांक 7-5-18
का रहे /

XL
23.2.18
अपेक्षित अधिकारी
हस्ताक्षर

7-5-18

अभिलेख उपस्थापित किया गया / -
प्रथम पक्ष उपस्थित है / द्वितीय पक्ष अनु-
पस्थित है / प्रथम पक्ष नोटिस का ताकिल का
पत्र प्राप्त भी द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं
हुए हैं / अनिवार्य नोटिस निर्गत करें /
अभिलेख दिनांक 31-5-18 को सुनवाई
का रहे /

XL
07.5.18
अपेक्षित अधिकारी
हस्ताक्षर

31-5-18

अभिलेख उपस्थापित किया गया /
अनिवार्य नोटिस का ताकिल प्राप्त है /
प्रथम पक्ष उपस्थित है जबकि अनिवार्य
नोटिस तामील के वाकजूद द्वितीय पक्ष
अनुपस्थित है / इससे स्पष्ट है कि
द्वितीय पक्ष को इस बात के विषय में कोई
सूचना नहीं है / आवश्यकता

कलराय राय पिता पुन्डिका राय गांधी
करमाकला नाम दारुणिक केवाला के
10630 दिनांक 30-9-72 के द्वारा -
खरीदी भूमि के नामानाथ के परचाय -
कायम जमावदी के जेता खरजी सादुग
का नाम दुर जाह के माफ उरु जाह
का अनुसंधान किया है।

हम कर्मचारी सह प्र० अंग्रेज विधिक
के प्रतिवेदन किया है कि पुराना गाँव -
पंजी में है जहाँ करमाकला के खाल
सं० ०/ जमीन के 235 रकबा 175 1/2 एकड़
भूमि का गाँव पेज नं० 128 पर चरदिका
साय, पुन्डिका राय, अमिरका साय, मोला
साय के खरजी सादुग के नाम से दर्ज है।
जबकि नया गाँव पंजी में है पेज सं० 1/15/2
पर चरदिका साय, पुन्डिका राय, अमिरका
साय, मोला साय के नाम से उक्त भूमि
की जमावदी कायम है। जो पेज नं०
128 है आया दर्ज है। केवाला के
10630 दिनांक 30-9-72 के आ
पेज नं० 128 के दर्ज व्याख्यान का नाम
दर्ज है। हम कर्मचारी के भी

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
3

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
3

2

प्रतिवेदिता किया है कि वर्तमान में पत्नी
म रू पेज नं. 114/12 पर सुरजी साहुन
का नाम भुक्तवश दूर गंगा है जबकि
वेबला हन पुन गंगा पत्नी म रू अन्य
गंगाधारी रैपता रू नाम सुरजी साहुन
का नाम भी दर्ज है अंत राजाव -
सागगाता रू अवकाश रू पदमाव
हमरा सभ्यारी रू प्रतिवेदिता रू आधार
पर मौला कलाकला स्वात सं 01 एमेट
नं 235 रकवा 1-75 1/2 एमेट प्रकका
पेज नं. 114/12 पर नाम जमावदी रू
पट्टिका नाव, पुष्पिका नाव, अमिरका
नाव, मौला नाव रू नाम सुरजी साहुन
जोके पुष्पिका नाव का नाम जोडा
सी स्वीकृति दी जाती है।

अध्यापिक संशोधित

31.5.18
अपम अर्चना

हस्ताक्षर

31.5.18
अपम अर्चना
हस्ताक्षर

आदेश की
क्रम सं०
और तारीख

1

2

डाफ्त 571 दिनांक 21-8-18

प्रतिलिपि- राज्य बन-चाली के सुपरान्त
एवं अनुपालनाधीन जिला/ निदेश, एवं
एक सिपाई के अन्तर् अनुपालनाधीन-
प्रविवरण देना उचित होगा।

21-8-18

अध्यापक

— [Signature]

अध्यापक
जिला शिक्षा
अधीनस्थ